

1	2	3	4	5
Madhya Pradesh	96.00	37.57	52.40	52.40
Maharashtra	180.50	142.22	(38.28)	49.10
Meghalaya	11.70	—	9.79	7.44
Mysore	72.00	25.50	35.00	34.60
Nagaland	9.48	—	(9.48)	7.00
Orissa	49.00	13.90	(35.10)	32.00
Punjab	65.93	36.01	20.70	20.20
Rajasthan	66.00	18.21	44.00	44.00
Tamil Nadu	98.97	31.56	(67.41)	40.40
Uttar Pradesh	214.05	106.29	112.00	105.20
West Bengal	65.13	5.16*	(59.97)	44.20
Himachal Pradesh	20.30	—	20.30	19.50
All States	1465.18			719.50

*Incomplete Estimates.

Note : Draft Plan proposals of States for the Annual Plan 1971-72 have not clearly indicated, in all cases, the States proposals for Central assistance. Figures in parantheses should not be taken as proposals for Central assistance since the gap in resources (proposed outlay minus States' resources) would have to be filled by additional resource mobilisation, withdrawals from reserves, etc. besides Central assistance.

राज्यों में प्रति व्यक्ति विकास व्यय

विकास व्यय बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

2286. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना तक सब राज्यों में प्रति व्यक्ति विकास व्यय समान नहीं रहा है और कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति विकास व्यय 200 रु० तक पहुंच गया है जबकि अन्य राज्यों में यह व्यय 90 रुपये से अधिक नहीं हुआ है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उपर्युक्त व्यय 200 रुपये है और जहां पर यह व्यय कम है ;

(ग) उपर्युक्त व्यय में इस भेदभाव के कारण क्या हैं ; और

(घ) इन राज्यों की पिछड़ेपन की शिकायतों को दूर करने हेतु इनमें प्रति व्यक्ति

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन चारिया) : (क) और (ख). सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति योजना व्यय समान नहीं रहा है। सभा पटल पर रखे गये विवरण-1 में पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के तथा 1966 से 1969 तक की वार्षिक योजनाओं के तत्सम्बद्ध प्राकड़े दशिये गए हैं। [मन्त्रालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-430/71]

(ग) प्रति व्यक्ति योजना व्यय का निर्धारण प्रत्येक राज्य की योजना के समग्र प्राकार के आधार पर किया जाता है तथा योजना का प्राकार केन्द्रीय सहायता एवं राज्य द्वारा जुटाए जाने वाले योजना संसाधनों के आधार

पर निर्धारित किया जाता है। जैसा कि सभा पटल पर रखे गये विवरण-2 से स्पष्ट हो जायेगा कि जिन राज्यों का प्रति व्यक्ति योजना व्यय सभी राज्यों के औसत से कम रहा है सामान्यतया उन्होंने स्वयं प्रति व्यक्ति कम संसाधन जुटाये हैं। [घम्बालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-430/71]

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद की मुख्य मंत्री समिति ने, जिसने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए एक सूत्र निर्धारित किया, कुछ राज्यों के सापेक्षिक पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा। सीमान्त राज्य असम, जम्मू तथा कश्मीर एवं नागालैंड को विशेष स्थान दिया गया है। इसके प्रतिरिक्त जनसंख्या के आधार पर केन्द्रीय सहायता के 60 प्रतिशत आवंटन में तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 10 प्रतिशत आवंटन में, अन्य बातों के साथ, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों को लाभ पहुंचा है। सरकार ने उन राज्यों के लिए 795.23 करोड़ रुपये तक की विशेष व्यवस्था की है जहां गैर-योजना के कारण बजट सम्बन्धी अन्तराल थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सम्बन्धित राज्य चौथी योजना अवधि में अपनी योजनाओं के लिए अपने द्वारा जुटाए जाने वाले साधनों में वृद्धि कर सकें।

चौथी योजना के दौरान पिछड़े राज्यों को सहायता

2287. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा कुल परिव्यय का 10 प्रतिशत भाग बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों को विशेष सहायता के रूप में दिये जाने की स्वीकृत नीति और निर्णय लेने के बावजूद भी उक्त राज्यों में प्रशासनीय प्रगति होने की सम्भावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय किया है ; और

(ग) क्या सरकार महसूस करती है कि इन राज्यों के लिए 10 प्रतिशत की विशेष सहायता पर्याप्त नहीं है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन शारिया) : (क) चौथी योजना अवधि के दौरान बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में कुछ मुख्य विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रत्याशित प्रगति का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दर्शाया गया है। [घम्बालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-431/71]

यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा नियुक्त मुख्य मंत्री समिति ने जो सूत्र निर्धारित किया है उसमें इन राज्यों के विकास कार्यक्रमों के कुल परिव्यय के 10 प्रतिशत अंश की विशेष अनुदान के रूप में व्यवस्था नहीं की गई है। सूत्र के अनुसार केन्द्रीय सहायता के लिए उपलब्ध राशि का 10 प्रतिशत अंश उन राज्यों में बांट दिया जाना चाहिए जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से कम है। इनमें ये चारों राज्य भी सम्मिलित हैं।

(ख) राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली समस्याओं के आधार पर उनमें (राज्य योजनाओं में) समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं। अब सभी राज्यों की योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा की योजनाओं में परिवर्तन का विचार यदि कोई परिवर्तन हो, इन योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन हो जाने के बाद ही किया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।